



LAW FOR YOU



साऊथ ऑस्ट्रेलिया में
रहने वाले नए प्रवासियों
के लिए कानून संबंधी
एक लघु मार्गदर्शिका

HINDI
[हिन्दी]



 **Legal Services
Commission**
OF SOUTH AUSTRALIA

विषय सूची

भूमिका	1
ऑस्ट्रेलिया में कानून	2
वाहन चलाना	3
पुरानी कार खरीदना	4
कार दुर्घटनाएँ	5
सामान व सेवाओं को खरीदना	6
पुलिस	7
परिवार में हिंसा	8
किराए पर लेना	9
शादी	10
अलग होना व तलाक	11
बच्चे व अलग होना	12
बच्चों की देखभाल करना	13
सरकार के निर्णय	14
काम करना	15
जुर्मानों के संबंध में	16

आपके लिए कानून – साऊथ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नए प्रवासियों के लिए लघु मार्गदर्शिका

यह पुस्तिका साऊथ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नए प्रवासियों के लिए कानून संबंधी आधारभूत मार्गदर्शिका है। इसका लक्ष्य है अंग्रेजी न बोलने वाले लोगों को मदद करना जिससे वे मुख्य कानून को समझे व जिन लोगों को कोई कानूनी समस्या है वे यह जान पाएँ कि कौनसी सेवाएँ उनकी सहायता कर सकती हैं। यदि किसी को कोई कानूनी समस्या है तो यह आवश्यक है कि वह जल्द से जल्द कानूनी सलाह ले।

यह मार्गदर्शिका, नए प्रवासियों के लिए कानूनी शिक्षा में मदद देने के लिए Legal Services Commission द्वारा विकसित की गई थी। इसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके लिए कानून संबंधी आधारभूत सिद्धांतों को समझना ज़रूरी है व यह जानना कि मदद कहाँ से लेनी चाहिए।

Legal Services Commission, Law Foundation of South Australia के प्रति कृतज्ञ है कि उन्होंने इस साधन का अनुवाद करने व छापने के लिए धन प्रदान किया है।

इस साधन की कुछ विषय-वस्तु व चित्र, ऑस्ट्रेलियाई कानूनी सहायता कमीशन द्वारा प्रकाशित 'यहाँ का कानून क्या है? मेरे नए देश में ऑस्ट्रेलियाई कानून' ('What's the law? Australian law in my new country') से अनुकूलित किए गए हैं।

अस्वीकरण: कानून अक्सर बदलता रहता है इसलिए हो सकता है कि इस प्रकाशन में दी गई जानकारी सामयिक न हो। इस प्रकाशन में दी गई जानकारी केवल एक आम मार्गदर्शिका है। यह कानूनी सलाह नहीं है। हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि उनकी कानूनी समस्याओं के लिए व्यक्तिगत सलाह लें।

© Legal Services Commission मार्च 2015

Law Foundation of South Australia की सहायता से प्रकाशित।





ऑस्ट्रेलिया में क़ानून

- क़ानून का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है।
- यदि आप क़ानून तोड़ेंगे, आपको पैसा देना होगा या कोर्ट जाना पड़ेगा।
- क़ानून के बारे में मुफ़्त जानकारी सबको उपलब्ध है।
- आप मुफ़्त क़ानूनी सहायता लिगल सर्विस कमीशन (**Legal Services Commission**) से ले सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)

131 450

Legal Services Commission

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au



वाहन चलाना

- साऊथ ऑस्ट्रेलिया में वाहन चलाने के लिए आपके पास वैध लाईसेंस होना अनिवार्य है। यदि आप साऊथ ऑस्ट्रेलिया हाल ही में आए हैं तो **Service SA** से पूछें कि आपका लाईसेंस वैध है या नहीं।
- आपको बिना रजिस्टर करवाई हुई कार को कभी भी चलाना या सड़क पर खड़ा नहीं करना चाहिए।
- सबके लिए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य है। बच्चों के लिए कार की विशेष सीटें व बेल्ट ज़रूरी हैं। किस प्रकार की सीट व बेल्ट आपको चाहिए है यह बच्चे की आयु व बनावट पर निर्भर करेगा। अधिक जानकारी के लिए **Kidsafe SA** से संपर्क करें।
- आपके लिए अनिवार्य है कि आप वाहन चलाने से संबंधित सभी क़ानून सीखें। इन क़ानूनों को तोड़ने की सज़ा में फ़ाईन लगना, जेल होना व लाईसेंस खो देना शामिल हो सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)

131 450

Legal Services Commission

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au

Service SA

13 10 84

Kidsafe SA

8161 6318

www.kidsafesa.com.au/road-safety



पुरानी कार खरीदना

किसी कार स्थल से कार खरीदना:

- कार की जाँच करवाने के लिए अपने साथ मकेनिक को ले जाएँ या RAA से जाँच करवाएँ।
- कार बेचने वाले को सुनिश्चित करना चाहिए कि बेची जा रही कार चोरी की या उधार पर नहीं ली गई है।

कार के मालिक से सीधे खरीदना:

- कार की जाँच करने के लिए अपने साथ मकेनीक को ले जाएँ या RAA से जाँच करवाएँ।
- कभी-कभी यदि कार उधार पर होती है तो बैंक उसे ले सकता है। यह आपके कार खरीदने व अपने नाम पर रजिस्टर करवाने के बाद भी हो सकता है। यह जाँच करने के लिए कि कार अभी भी उधार पर है, 1300 007 777 पर **Personal Property Securities Register (PPSR)** को फ़ोन करें। आपको 'वाहन पहचान नम्बर' ['Vehicle Identification Number' (VIN)] चाहिए होगा। यह नम्बर कार के इंजन व रजिस्ट्रेशन के कागज़ों में मिलेगा। PPSR ढूँढने का खर्चा \$4 है और आप केवल क्रेडिट से ही भुगतान कर सकते हैं।
- यह भी सुनिश्चित करें कि कार चोरी की तो नहीं है। आपके लिए यह जाँच PPSR भी कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)

131 450

Personal Property Securities Register

1300 007 777

www.ppsr.gov.au

RAA

131 111



कार दुर्घटनाएँ

- यदि कोई कार दुर्घटना होती है तो हर ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि वह रुके और यदि किसी को चोट लगी है तो उसकी मदद करे।
- ड्राइवरों के लिए अनिवार्य है कि वे अपना विवरण एक दूसरे को दें: नाम, पता व बीमा करने वाली कम्पनी।
- यदि किसी को चोट लगी है या सभी कारों की मरम्मत का खर्चा \$3000 से अधिक होता है तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए।
- जब आप अपनी कार को रजिस्टर करवाने का भुगतान करते हैं तो उसमें 'तृतीय पक्ष अनिवार्य बीमा' ('Third party compulsory insurance') शामिल होता है। इससे जिस व्यक्ति को दुर्घटना में चोट लगती है उसे मुआवज़ा दिया जाता है। पर यह बीमा कार की मरम्मत का खर्चा नहीं देता है।
- कार की मरम्मत करवाने के लिए आप अन्य प्रकार का बीमा करवा सकते हैं:
 - यदि दुर्घटना आपकी गल्ती से हुई है तो 'तृतीय पक्ष अनिवार्य बीमा' ('Third party property insurance') दूसरे व्यक्ति की कार के नुकसान का खर्चा देता है।
 - 'विस्तारपूर्ण बीमा' ('Comprehensive insurance') लेने से दोनों की - आपकी व दूसरे व्यक्ति की कार में हुए नुकसान का खर्चा बीमा कम्पनी देती है।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)

131 450

Legal Services Commission

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au

Police

आपात स्थिति में 000 को फ़ोन करें और यदि आपात स्थिति नहीं है तो 131444 पर फ़ोन करें।



सामान व सेवाएँ खरीदना

- यदि आप कोई चीज़ खरीदते हैं और वह टूटी, असुरक्षित, काम नहीं करती या दिखने में ठीक नहीं लगती है तो आपके कुछ अधिकार हैं। आप उसे ठीक करवा सकते हैं या नई ले सकते हैं या पैसे वापस ले सकते हैं। यह वारन्टी समाप्त होने के बाद भी हो सकता है।
- खरीदने की रसीद हमेशा रखें।
- किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी से कहें कि आपको उसे समझने में मदद करे। यह लम्बे समय के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत आवश्यक है, जैसे कि मोबाईल फ़ोन के कॉन्ट्रैक्ट।
- अपने सामने के दरवाज़े पर 'दरवाज़ा न खटखटाएँ का विज्ञापन' ('Do Not Knock Sticker') लगाने से यह घर पर सामान बेचने वालों को आने से रोक सकता है।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)

131 450

Legal Services Commission

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au

Consumer Credit Law Centre SA

8342 1800

1300 886 220 (country callers)



पुलिस

- पुलिस समुदाय की सुरक्षा करती है व यह सुनिश्चित करती है कि लोग कानून का पालन कर रहे हैं। पुलिस को भी कानून का पालन करना चाहिए।
- कोई जाँच-पड़ताल करते समय पुलिस किसी से भी पूछताछ कर सकती है।
- आपके लिए पुलिस के किसी भी सवाल का उत्तर देना ज़रूरी नहीं है सिवाय अपना नाम, पता व जन्म की तिथि बताना।
- कार चलाते समय यदि पुलिस आपसे आपका लाईसेंस माँगती है तो आपको दिखाना अनिवार्य है।
- पुलिस के अन्य सवालों का जवाब देने से पहले आपका अधिकार है कि आप कानूनी सलाह लें।
- यदि अंग्रेज़ी आपकी पसन्दीदा भाषा नहीं है तो आप जब भी पुलिस से बात करें तो आपका अधिकार है कि आप दुभाषिए की माँग करें।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)

131 450

Police

Phone 000 in an emergency or 131444 for police attendance if not an emergency.

Legal Services Commission

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au



पारिवारिक हिंसा

- ऑस्ट्रेलिया में लोगों को पारिवारिक हिंसा से बचाने के लिए कई कानून हैं।
- पारिवारिक हिंसा कई प्रकार की हो सकती है, जिसमें शारीरिक, यौन संबंधी, मानसिक, शब्दों द्वारा, भावनात्मक व आर्थिक दुर्व्यवहार शामिल है।
- किसी को भी पारिवारिक हिंसा से डर कर नहीं रहना चाहिए। पुलिस व न्यायालयों में यह एक गम्भीर जुर्म है।
- किसी भी परिवार के सदस्य को पुलिस व न्यायालय आदेश दे सकते हैं कि भविष्य में वह पारिवारिक हिंसा बन्द करे। इसे 'बीच-बचाव के लिए आदेश' ('Intervention Order') कहते हैं।
- यदि यह परिवार का सदस्य हिंसा नहीं बन्द करता तो यह उसके लिए कानूनी समस्या होगी।
- जो लोग घर पर सुरक्षित नहीं महसूस करते उनको मदद करने के लिए विशेष निःशुल्क सेवाएँ उपलब्ध हैं। इनमें महिलाओं के लिए शरण स्थान, काउन्सलिंग सेवाएँ व कानूनी सलाह शामिल हैं।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)

131 450

Police

Phone 000 in an emergency or 131444 for police attendance if not an emergency.

Legal Services Commission

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au

Women's Legal Service

8221 5553



किराए पर घर लेना

- मकानमालिकों को संपत्ति को अच्छी स्थिति में रखना ज़रूरी है।
- यदि संपत्ति में कोई तोड़-फोड़ होती है तो किराएदारों को मकानमालिकों को बताना अनिवार्य है।
- मकानमालिक मरम्मत का खर्चा देते हैं, पर यदि किराएदार ने नुकसान किया है तब नहीं।
- किराएदारों के लिए किराया देना, व संपत्ति को साफ़, ठीक-ठाक व सुव्यवस्थित रखना अनिवार्य है।
- किराया देने की रसीद अवश्य लें जिससे आप किराया देने का प्रमाण दे सकें।
- किराएदारों को बहुत अधिक शोर-शरावा नहीं करना चाहिए व अपने पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहिए।
- आपको घर से निकाला नहीं जा सकता जब तक कि कोर्ट या ट्राईब्यूनल का आदेश न हो।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)

131 450

Tenants Information & Advocacy Service (TIAS)

8305 9459

Legal Services Commission

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au



शादी

- ऑस्ट्रेलिया में शादी एक आदमी व एक औरत के बीच होती है और दोनों की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
- विशेष स्थितियों में युवक जो 16 या 17 वर्ष के होते हैं, कोर्ट की अनुमति होने पर शादी कर सकते हैं। कोर्ट इस प्रकार की अनुमति बहुत ही कम देता है।
- यहाँ का कानून 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को विदेश ले जाकर शादी करने की अनुमति नहीं देता।
- ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता है कि साथ में रहने के लिए लोगों को कानूनी तौर पर शादी शुदा होना चाहिए।
- किसी से शादी करने के बाद पति या पत्नी को यौन संबंध बनाने का अधिकार नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति यौन संबंध के लिए अनुमति नहीं देता तो पति और पत्नी के बीच भी इसे बलात्कार कहते हैं।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)

131 450

Legal Services Commission

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au



अलग होना व तलाक़

- जो भी शादी शुदा नहीं रहना चाहता वह तलाक़ ले सकता है। पति पत्नी को व पत्नी पति को तलाक़ दे सकता है। इससे कोई असर नहीं होता की किसकी ग़लती थी।
- तलाक़ का अर्थ है सरकारी व कानूनी रूप से शादी का अन्त। तलाक़ लेने के लिए कोर्ट में आवेदन पत्र देना ज़रूरी है।
- तलाक़ लेने के लिए कोर्ट में आवेदन पत्र देने से पहले आवश्यक है कि आप कम से कम 12 महीने के लिए दम्पति के रूप में रहना बन्द कर दें।
- यदि आप एक ही घर में रहते हैं तब भी अलग होना संभव हो सकता है, पर तब ही जब आप शादी में आम तौर पर एक साथ की जाने वाली गतिविधियाँ नहीं करते हैं, जैसे कि, एक साथ सोना, खाना-पीना व इकट्ठा बैंक अकाउन्ट होना या अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने जाना।
- अलग होने के बाद बच्चों की देखभाल व संपत्ति के बटवारे के बारे में पारिवारिक कानून हैं। ये कानून लागू होते हैं चाहे आप कानूनी रूप से शादी शुदा हैं या नहीं।
- यदि आप अलग होने की सोच रहे हैं या अलग हो गए हैं तो आपको कानूनी सलाह लेनी चाहिए। वकील आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके कानूनी अधिकार व ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं व वह आपको समझाएगा कि आप पर कानून किस प्रकार लागू होगा।
- अलग होना या तलाक़ लेने से आपकी प्रवासन स्थिति पर प्रभाव हो सकता है। इस बारे में भी आपको कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service

131 450

Legal Services Commission

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au

Family Law Courts

1300 352 000



बच्चे व माता-पिता का अलग होना

- माता व पिता दोनों ही अपने बच्चों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। और यह तब भी नहीं बदलता जब माता-पिता अलग हो जाते हैं।
- बच्चों को अधिकार है कि वे अपने दोनों माता-पिता से मिलें, जब तक कि वह उनके पास सुरक्षित हैं।
- अपने बच्चों की देखभाल को दोनों के बीच बाँटने के लिए अधिकतर माता-पिता कोई न कोई रास्ता ढूँढ लेते हैं।
- कुछ माता-पिता अलग होने पर बच्चों के प्रबंध के बारे में सहमत नहीं हो पाते हैं। एक पारिवारिक वकील माता-पिता को सहमती के लिए कानूनी सलाह दे कर मदद कर सकता है।
- गम्भीर मामलों में पारिवारिक न्यायालय निर्णय लेगा कि बच्चों के साथ क्या होगा।
- पारिवारिक बीच-बचाव वह स्थान है जहाँ माता-पिता अपने बच्चों के प्रबंध के बारे में एक स्वतंत्र बीच-बचाव करने वाले व्यक्ति की सहायता से आपस में मिलते हैं, जिससे उन्हें न्यायालय नहीं जाना पड़ता।
- हो सकता है बच्चों की देखभाल में मदद के लिए माँ से पिता को या पिता से माँ को 'शिशु सहायता' देने के लिए कहा जाए।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)
131 450

Legal Services Commission
1300 366 424
www.lsc.sa.gov.au



बच्चों की देखभाल

- माता-पिता के लिए बच्चों की देखभाल करना व उन्हें खतरे से बचाना अत्यावश्यक है।
- माता-पिता को अधिकार है कि वे बच्चों को सिखाएँ कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करना चाहिए। पर माता-पिता को बच्चों को अनुशासन सिखाते समय नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए।
- जो माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते व उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं उनके साथ बच्चों की सुरक्षा करने के लिए हो सकता है कि **Families SA** कोई कार्यवाही करे।
- कई निःशुल्क सेवाएँ उपलब्ध है जो माता-पिता को सलाह, शिशु देखभाल व पारिवारिक काउन्सलिंग में मदद कर सकती हैं।
- जो व्यवसायी बच्चों के साथ काम करते हैं उनके लिए अनिवार्य है कि यदि वे सोचते हैं कि कोई बच्चा खतरे में है तो उसके बारे में **Families SA** को सूचित करें।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)

131 450

Parent Helpline

1300 364 100

Police

Phone 000 in an emergency or 131444 for police attendance if not an emergency.

Legal Services Commission

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au

Families SA

Child Abuse Report Line 13 14 78

Crisis Care (after hours) 131 16 11



सरकारी निर्णय

- सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय, नियमों के अनुसार होने चाहिए।
- जिन सरकारी निर्णयों का आपके ऊपर प्रभाव होता है, उनके बारे में कानूनी सलाह लेना व सवाल पूछना आपका अधिकार है।
- कभी-कभी आप निर्णय को बदलने के लिए कह सकते हैं।
- यदि आपका मानना है कि सरकारी निर्णय गलत है तो आप **Ombudsman SA** या **Commonwealth Ombudsman** से शिकायत कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)

131 450

Legal Services Commission

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au

Commonwealth Ombudsman

1300 362 072

Ombudsman SA

8226 8699

1800 182 150 (country callers)

Welfare Rights Centre (SA)

8223 1338

1800 246 287 (country callers)



नौकरी करना

- कई कानून हैं जो आपके काम संबंधी अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - आपको कितना वेतन मिलता है
 - यदि आपको कार्यस्थल पर चोट लग जाती है तो मुआवज़ा मिलना
 - कार्य-स्थल पर आपके साथ उचित व्यवहार
 - कार्य-स्थल पर आपकी सुरक्षा
 - आपके वेतन, टैक्स व सुपरएन्युएशन (प्रॉविडेन्ट फ़ण्ड) संबंधी रिकॉर्ड रखना।
- यदि आप यूनियन के सदस्य हैं तो यूनियन आपको सलाह दे सकती है व आपके अधिकारों की सुरक्षा कर सकती है।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)

131 450

Fair Work Ombudsman (pay and work rights)

13 13 94

www.fairwork.gov.au/languages

Legal Services Commission (general advice and referral)

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au

Working Women's Centre SA

1800 652 697



जुर्माना लगना (Fines)

- जुर्माना लगाना एक प्रकार की सज़ा है जब कानून तोड़ने पर आपको पैसा देना होता है।
- यदि आप अंतिम तारीख तक पूरा जुर्माना नहीं दे सकते हैं तो **Fines Enforcement and Recovery Unit** से बात करें।
- **Fines Enforcement and Recovery Unit** आपकी भुगतान करने की हैसियत पर आधारित किश्त का प्रबंध कर सकती है।
- यदि आप **Fines Enforcement and Recovery Unit** के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं तो उनके पास अधिकार है कि वे जुर्माना भरने के लिए आपके साथ ज़बरदस्ती करें।
- अपने जुर्माने को नज़रअन्दाज़ न करें – यदि आप जुर्माना भर नहीं सकते तो मदद माँगें।

अधिक जानकारी के लिए

Translating and Interpreting Service (TIS)

131 450

Legal Services Commission

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au

Fines Enforcement and Recovery Unit

1800 659 538

टिप्पणी (NOTES)

